बिहार सरकार
समाहरणालय, सीवान
सीवान –841226
(जिला गोपनीय शाखा)

दूरभाष 06154–242099 (कार्या0)
06154–242860 (कार्या0)
06154–242098 (आवास)
06154–242160 (फैक्स)
email: dm-siwan.bih@nic.in

आदेश

COVID-19 कोराना वायरस के संक्रमण और प्रसार को रोकने की दृष्टि से अधोहस्ताक्षरी के आदेश ज्ञापांक–867/सी0 दिनांक 23.03.2020 के द्वारा **कोरेनटाईन सेल, ट्रैकिंग एवं मॉनिटरिंग सेल, आईसोलेशन सेल एवं संक्रमण के पुष्ट मामलों का सेल,** का गठन किया गया है। साथ ही, सिविल सर्जन–सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति के ज्ञापांक– 412 दिनांक 24.03.2020 के द्वारा प्रत्येक प्रखण्ड में संक्रमण के दृष्टि से संदिग्ध मरीजों की जाँच एवं परामर्श हेतु **(उन्हें आईसोलेट करने का परामर्श हेतु) 24 X 7** कार्य करने वाले 4–4 मेडिकल टीमों का गठन किया गया है। यह अत्यंत आवश्यक है कि कोरोना वायरस के संबंध में किसी भी तरह की सूचना प्राप्त होने पर सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुरुप कार्रवाई की जाय और दैनिक रूप से कृत कार्रवाई का अनुश्रवण किया जाय। अतः निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के आगे अंकित प्रखण्डों का वरीय पदाधिकारी नामित किया जाता है :–

क्र0	वरीय प्रभारी पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	आवंटित प्रखण्ड का नाम
1	श्री सुनील कुमार, उप विकास आयुक्त, सीवान **(कारेनटाइन सेल वरीय प्रभारी)** श्री असगर अली, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना शिक्षा, सीवान	दरौंदा
2	श्री रमण कुमार सिन्हा, अपर समाहर्त्ता, सीवान **(ट्रैकिंग एवं मॉनिटरिंग सेल वरीय प्रभारी)** श्री दिलीप कुमार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा, सीवान	सीवान सदर
3	श्री विपिन कुमार राय, अपर समाहर्त्ता–सह–जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सीवान **(विशेष कार्य पदाधिकारी)** श्री रवि रंजन राकेश, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सीवान	हुसैनगंज
4	श्री सुनील कुमार, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सीवान **(आईसोलेशन सेल के वरीय प्रभारी)** श्री निशिथ कुमार, सयुंक्त आयुक्त, राज्यकर, सीवान	दरौली
5	श्री कृष्णमोहन प्रसाद, जिला परिवहन पदाधिकारी, सीवान **(संक्रमणपुस्ट मामलों के सेल के वरीय प्रभारी)** श्रीमती अर्चना कुमारी मोटरयान निरीक्षक, सीवान	पचरुखी
6	श्री संजय कुमार, अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सीवान **(जिला नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभारी)** श्री विशाल कुमार गुप्ता, सयुंक्त आयुक्त, राज्यकर, सीवान	बसंतपुर
7	श्रीमती नीतू सिंह, अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, महाराजगंज	लकड़ी नवीगंज
8	श्री प्रमोद कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सीवान **(टॉल फ्री हेल्पलाईन 104 सेल के वरीय प्रभारी)** श्री प्रियरंजन, उत्पाद अधीक्षक, सीवान	भगवानपुर हाट
9	श्री संजीव कुमार सिंह, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सीवान **(जिला नजारत के प्रभारी)** श्री मिथिलेश कुमार सिंह, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सीवान	बड़हरिया
10	श्री संजीव कुमार, अनुमण्डल पदाधिकारी, सीवान सदर	रघुनाथपुर
11	श्री मंजीत कुमार, अनुमण्डल पदाधिकारी, महाराजगंज	महाराजगंज
12	श्री संजय कुमार, उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सीवान सदर	जीरादेई
13	श्री प्रवीण कुमार, उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, महाराजगंज	गोरेयाकोठी
14	श्री अनिरंजन कुमार सिन्हा, जिला योजना पदाधिकारी, सीवान	हसनपुरा

15	श्री शीलाजीत सिंह, परियोजना निदेशक, आत्मा, सीवान	नवतन
16	श्री जयशंकर ओझा, जिला मत्स्य पदाधिकारी, सीवान	सिसवन
17	श्री कालीकान्त चौधरी, उप परियोजना निदेशक, आत्मा, सीवान	आन्दर
18	श्री चन्द्रशेखर राय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीवान	गुठनी
19	श्री रवि प्रकाश, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, सीवान	मैरवा

2. उपरोक्त प्रतिनियुक्त प्रखण्डों के वरीय पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि Covid-19 कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान प्रखण्डों में तैयार किए गए आइसोलेशन वार्ड एवं अन्य सुविधाओं का नियमित अनुश्रवण करेंगे।

3. अपने–अपने आवंटित प्रखण्डों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में गठित मेडिकल टीमों के द्वारा किए जा रहे कार्यो का सतत् अनुश्रवण करेंगे और यह देखेंगे कि मेडिकल टीमें मुस्तैदी से जाँच कार्य कर रही है या नहीं।

4. सीवान प्रशासन एवं Covid-19 Monitoring Siwan Whatsapp Group पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रखण्डों में किसी व्यक्ति के बीमार/संक्रमित होने की सूचना दी जाती है/अग्रसारित की जाती है तो यह सुनिश्चित कराया जायेगा कि मेडिकल टीमों के द्वारा उस व्यक्ति की जाँच कर प्रोटोकॉल के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

5. प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि क्षेत्र भ्रमण के समय Face Mask, Sanitizer और 06 फीट की दूरी बनाकर सावधानी पूर्वक कार्य करेंगे।

6. इस कार्यालय द्वारा निर्गत आदेश ज्ञापांक–867/सी0 दिनांक–23.03.2020 द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं उससे संबंधित त्वरित निष्पादन हेतु कुल–06 कोषांगों का गठन किया गया है। यदि कोरोना वायरस से संक्रमित ऐसे व्यक्तियों की सूचना प्राप्त होती है तो उसे तत्काल गठित कोषांग के वरीय प्रभारी को अविलम्ब अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

7. सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को अधोहस्ताक्षरी द्वारा उनके प्रखण्डों के संबंध में समय–समय पर दिए गए निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

ह0/–
जिलाधिकारी, सीवान

ज्ञापांक 881 /सी0, सीवान दिनांक– 25 वीं मार्च, 2020 ई0

प्रतिलिपिः–आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः–पुलिस उप महानिरीक्षक, सारण क्षेत्र, छपरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः–पुलिस अधीक्षक सीवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः–अपर समाहर्त्ता, सीवान/उप विकास आयुक्त, सीवान/अनुमण्डल पदाधिकारी सीवान सदर/महाराजगंज/सिविल सर्जन, सीवान/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सीवान/महाराजगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः–सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः–सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, जिला–सीवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी, सीवान